



महत्वपूर्ण सूचना

दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा-2025 के अंतर्गत कांस्टेबल (कार्यकारी), कांस्टेबल (चालक), हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) तथा हेड कांस्टेबल (एडब्ल्यूओ/टीपीओ) के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षण (पीई एंड एमटी)

दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा-2025 के अंतर्गत कांस्टेबल (कार्यकारी) (पुरुष एवं महिला), कांस्टेबल (चालक), हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) तथा हेड कांस्टेबल (एडब्ल्यूओ/टीपीओ) के पदों हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षण (पीई एंड एमटी) दिनांक 25.07.2026(शनिवार) से प्रारम्भ होने की संभावना है। सभी शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे तदनुसार आवश्यक तैयारी कर लें तथा नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें:-

1. अभ्यर्थी अपना ई-प्रवेश पत्र (e-Admit Card) अनिवार्य रूप से साथ लाएँ। ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा <https://delhipolice.gov.in/recruitments>।
2. अभ्यर्थी अपने साथ नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार के दस (10) फोटोग्राफ तथा कम-से-कम एक स्पष्ट फोटो पहचान-पत्र अवश्य लाएँ, जिसमें उनकी पूर्ण जन्मतिथि अंकित हो, ऐसा न करने पर उन्हें शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षण (पीई एंड एमटी) में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। निम्नलिखित फोटो पहचान-पत्र मान्य होंगे:-

(क) पासपोर्ट

(ख) आधार कार्ड

(ग) ड्राइविंग लाइसेंस

(घ) सेवा पहचान-पत्र (भूतपूर्व सैनिकों/सरकारी कर्मचारियों के लिए)

- (ड) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय द्वारा जारी पहचान-पत्र
- (च) मतदाता पहचान-पत्र (Voter ID Card)
- (छ) स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड
- (ज) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक (Ex-serviceman Discharge Book)
- (झ) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान-पत्र।

3. अभ्यर्थी अपने साथ सभी उपयुक्त मूल दस्तावेज, जैसे- शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, पर्वतीय क्षेत्र (Hill Area) प्रमाण-पत्र, खेल प्रमाण-पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, दिल्ली पुलिस वार्ड प्रमाण-पत्र, दिल्ली पुलिस विभागीय प्रमाण-पत्र, एनसीसी (NCC) प्रमाण-पत्र, आरआरयू (RRU) प्रमाण-पत्र आदि, तथा सभी दस्तावेजों की **स्वप्रमाणित (Self-attested) फोटोकॉपी का एक-एक सेट** अनिवार्य रूप से साथ लाएँ।
4. **मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना** किसी भी प्रकार का लाभ अथवा छूट प्रदान नहीं की जाएगी तथा अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए किसी भी प्रकार का **अतिरिक्त समय अथवा समय-वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी।**
5. अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे **अधिसूचना में वर्णित निर्धारित महत्वपूर्ण तिथि (Crucial Date) के अनुसार उक्त आरक्षण के लिए पात्र हैं।** अभ्यर्थियों को PE&MT के समय निर्धारित जाति/समुदाय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह **प्रमाण-पत्र संबंधित पद की अधिसूचना (Notification) के प्रासंगिक परिशिष्ट (Annexure) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार होना चाहिए।** किसी अन्य प्रारूप में जारी किए गए प्रमाण-पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।
6. कांस्टेबल (कार्यकारी) (पुरुष) पद के लिए अभ्यर्थियों के पास PE&MT की तिथि को वैध **LMV ड्राइविंग लाइसेंस (मोटरसाइकिल या कार) होना अनिवार्य है। लर्नर लाइसेंस (Learner's License) स्वीकार्य नहीं होगा।**
7. कांस्टेबल (ड्राइवर) पद के लिए अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् **15.10.2025 तक वैध भारी मोटर वाहन (HMV) ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।**

8. वर्तमान में सेवा में कार्यरत भूतपूर्व सैनिक (ESM) अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में **अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) प्रस्तुत करना होगा**, जिसमें सशस्त्र बलों से उनकी **सेवानिवृत्ति/सेवा मुक्ति (Discharge) की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए**। यह प्रमाण-पत्र संबंधित अधिसूचना (Notification) के प्रासंगिक परिशिष्ट (Annexure) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। जो अभ्यर्थी पहले ही सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त/सेवा मुक्त हो चुके हैं, उन्हें निर्धारित घोषणा-पत्र (Undertaking) के साथ अपनी डिस्चार्ज बुक/डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. कांस्टेबल (कार्यकारी) पद के लिए विशेष श्रेणी (कमांडो) के अंतर्गत आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिक (ESM) अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो कि वे निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं:
- (क) जिन्होंने विशेष बल (Special Forces)/NSG (Special Action Group) में सेवा प्रदान की हो; अथवा
- (ख) जिन्होंने कमांडो कोर्स (Commando Course) में QI (Qualified Instructor) ग्रेडिंग प्राप्त की हो; अथवा
- (ग) नौसेना (Navy) या वायुसेना (Air Force) के ऐसे अधिकारी जिन्होंने विशेष कमांडो प्रकार की इकाइयों (Specialized Commando-type Units) में सेवा प्रदान की हो।
10. ऐसी महिला अभ्यर्थी जो PE&MT के समय **गर्भवती हो, बच्चे को जन्म दे चुकी हो अथवा जिसका गर्भपात (Miscarriage) हुआ हो**, उन्हें शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण (Physical Endurance Test) में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें प्रसव/स्वास्थ्य लाभ अवधि (Confinement Period) समाप्त होने तक अस्थायी रूप से अनफिट (Temporarily Unfit) घोषित किया जाएगा। **ऐसी महिला उम्मीदवारों को पीई एंड एमटी (PE&MT) की निर्धारित तिथि/स्थल पर इस संबंध में आवेदन और मेडिकल दस्तावेज जमा करने होंगे।**
11. PE&MT की तिथि, समय अथवा स्थल (Venue) में **परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होंगे, उन्हें अनुपस्थित (ABSENT) माना जाएगा।** ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः अवसर प्रदान करने के संबंध में डाक, व्यक्तिगत रूप से, ई-मेल अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे संबंधित पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों (Eligibility Conditions) को पूरा करते हैं तथा अधिसूचना में उल्लेखित PE&MT के निर्धारित मानकों (Prescribed PE&MT Standards) को पूरा करते हैं। संबंधित पद की अधिसूचना कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की वेबसाइट <https://ssc.gov.in> पर उपलब्ध है।
13. PE&MT में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता (Travelling Allowance) अथवा अन्य कोई व्यय (Expenses) का भुगतान नहीं किया जाएगा।
14. PE&MT के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना अथवा चोट (Injury)/हानि(loss) के लिए दिल्ली पुलिस उत्तरदायी नहीं होगी और ऐसी किसी दुर्घटना या चोट के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे (Claim) के लिए दिल्ली पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. जो उम्मीदवार दौड़ (Race) में सफल होंगे, वे ही आगे की प्रतियोगिताओं यानी लंबी कूद (Long Jump) और ऊंची कूद (High Jump) में भाग लेने के पात्र होंगे। लंबी कूद और ऊंची कूद को क्वालिफाई करने के लिए उम्मीदवारों को तीन मौके दिए जाएंगे। दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद में अयोग्यता के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
16. शारीरिक माप परीक्षण (Physical Measurement Test - PMT) केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए आयोजित किया जाएगा, जो शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण (दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद) में सफल घोषित होंगे।
17. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर किसी भी प्रकार का कीमती सामान, हथियार, धारदार वस्तुएं, मोबाइल फोन अथवा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर न आएं। अभ्यर्थियों के किसी भी निजी सामान के खोने अथवा क्षति होने के लिए दिल्ली पुलिस उत्तरदायी नहीं होगी।
18. किसी भी कदाचार (malpractice) में लिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवार को तुरंत प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

-हस्ताक्षर/-

अति. उपायुक्त पुलिस
भर्ती शाखा, दिल्ली